क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 634/NGT OA 635/19/2020 दिनांक 10/8/2020

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in&ngt.filling@gmail.com

Sub: Compliance report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 21-11-2019 in matter of OA No. 635/2019, Residents Of Amit Vihar, Ward No. 23, Loni Versus State of Uttar Pradesh.

Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 21.11.2019 in matter of OA No. 635/2019, Residents Of Amit Vihar, Ward No. 23, Loni Versus State of Uttar Pradesh, the compliance report on behalf of U.P. State PCB & Sub Divisional Magistrate, Loni, Ghaziabad is submitted for kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely

(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to:

1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4- Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

COMPLIANCE REPORT
IN THE MATTER OF O.A. 635/2019
TITLED
Residents of Amit Vihar, Ward No. 23, Loni
Versus
State of Uttar Pradesh
(As per Hon'ble National Green Tribunal's Order Dated 21.11.2019)

1. Background

Hon'ble National Green Tribunal had received a letter, which has been treated as an application, in which complaint has been made against air pollution caused due to illegal operation of kilns in Amit Vihar Colony, Loni, Ghaziabad.

In view of above complaint, Hon'ble Tribunal had sought a report from the joint Committee of State Pollution Control Board and SDM, Ghaziabad vide its order dated 20.08.2019. In pursuance of the said orders, an Action Taken Report has been submitted in Hon'ble Tribunal on 04.10.2019 and same has been perused by Hon'ble Tribunal on 21.11.2019 during the course of hearing. Accordingly, following orders were passed by Hon'ble Tribunal on 21.11.2019:-

"...We direct the DPCC and the concerned SDM to furnish a factual and action taken report before the next date by email at judicial-ngt@gov.in. The DPCC will be the nodal agency for compliance and coordination. We also direct the U.P State PCB and the SDM, Ghaziabad to carry out further intensive survey in terms of the recommendations and give a further report after two months...."

2. Status of Compliance

During Joint survey carried out between 09.09.2019 to 11.09.2019, 42 illegal units were dismantled/closed. Thereafter, regular survey has been carried out in Amit Vihar and adjoining areas of Seva Dham and Krishna Vihar and units engaged in activity of leaching of Printed Circuit Boards (PCBs), classified as electronic waste have also been demolished and closed by joint team between 29.10.2019 and 02.11.2019.

In view of the nature of industries and unauthorized use of land in the area, District Magistrate, Ghaziabad vide his letter dated 09.04.2020has directed Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority to look into the issue and get a Composite Plan prepared for Loni area of Ghaziabad. Copy of the letter is annexed as *Annexure I.* Also, SDM, Loni vide his letter dated 20.07.2020 has directed Officer In-charge (Zone 8), Ghaziabad Development Authority to ensure that no unauthorized activity takes place in Amit Vihar and Seva Dhaam area in contradiction of authorized land use, copy of the said letter has also been sent to Station House Officer, Loni Border to maintain vigil and ensure that units closed do not establish or operate again.

The on-site status of same has been verified by a joint team of District Administration and U.P. Pollution Control Board on 07.08.2020 and it has been found that unauthorized units demolished/closed in the Amit Vihar and Seva Dham areas are closed and have not started unauthorized operations. Copy of report received from SDM, Loni is annexed as *Annexure II.*

Besides this, in order to curb operation of illegal units in Ghaziabad, District Magistrate Ghaziabad vide his letter dated 19.11.2019 has directed all land-owning agencies to ensure that unauthorized activities are not carried out in non-conforming areas. Also, instructions have been issued to Electricity Department to ensure that industrial/commercial electricity connections are not given in non-confirming areas.

(Navneet Pandey)
Junior Engineer
Regional Office, UPPCB
Ghaziabad

(B.K. Singh)
Assistant Environment Engineer
Regional Office, UPPCB
Ghaziabad

ANNEXURE-I

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद।

पत्र सख्या: 1825 /एस0टी0–डी0एम0/2019 दिनांक: 05 दिसम्बर, 2019

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय : जनपद गाजियाबाद की तहसील लोनी के विकास के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उप जिलाधिकारी लोनी से लोनी क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में अध्ययन कराया गया है, जिनके द्वारा अध्ययन रिपोर्ट में कतिपय प्रमुख समस्याऐं संज्ञान में लायी गयी है, जो पत्र के साथ संलग्न है एवं जिससे निष्कर्ष यह निकलता है कि लोनी क्षेत्र की स्थिति गंभीर है।

अतः अनुरोध है कि कन्सलटेन्ट नियुक्त करके लोनी क्षेत्र के लिए आदर्श टाऊन प्लानिंग की व्यवस्था करायी जाये। इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि इसे प्राधिकरण की अगली बोर्ड बैठक में भी विचार के लिए रखा जाये। चूँकि लोनी जनपद गाजियाबाद के साथ–साथ दिल्ली के भी नगरीय आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, इसलिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से इसके विकास के लिए कम्पोज़िट प्लान तैयार करने एवं कियान्वयन हेतु सहयोग की माँग की जा सकती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी लोनी एवं उपायुक्त उद्योग से पूरे क्षेत्र का विश्लेषण कराया गया, जिनकी छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सचिव
9/12
CE

ANNEXURE-2

कार्यालय उपजिलाधिकारी लोनी

पत्रांक 3181 /एस0टी0-एस0डी0एम0-लोनी/2020 दिनांक 07-08, 2020

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आई0एन0एस0-2, सैक्टर-16,
वसुन्धरा, गाजियाबाद।

विषयः- मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 635/2019 दिनांक 21.11.2019 में पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 635/2019 दिनांक 21.11.2019 में पारित आदेश का अवलोकन करना चाहें जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पूर्व में प्रदूषणकारी इकाईयों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में दिनांक 07.08.2020 को राजस्व विभाग एंव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम द्वारा पूर्व में अमित विहार व सेवाधाम के आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित प्रदूषणकारी इकाईयों के विरूद्ध बन्दी/डेमोलिशन की कार्यवाही की गई थी, का पुनः सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान उक्त सभी इकाईयां यथावत बन्द/ध्वस्त पाई गई(**कार्यवाही संलग्न**)।

इसके अतिरिक्त उक्त आवासीय क्षेत्रों में भू-उपयोग के विरूद्ध अवैध रूप से संचालित उद्योगों के सर्वेक्षण तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया है तथा सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को उक्त क्षेत्र में सघन निगरानी बनाये रखने तथा पूर्व में बन्द कराई गई अवैध इकाईयों को किसी भी दशा में स्थापित/संचालित न करने हेतु निर्देशित किया गया है।
(संलग्नक उपरोक्तानुसार)

उपजिलाधिकारी,
लोनी।

माननीय एन0 जी0 टी0. नई दिल्ली द्वारा ओ0 ए0 नम्बर 635/2019 दिनांक 21.11.2019 में पारित आदेश में दिये गये निर्देशो के अनुपालन में की गई कार्यवाही का विवरणः–

माननीय एन0 जी0 टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2019 के अनुपालन में अमित विहार लोनी के आवासीय क्षेत्र में पूर्व में दिनांक 09.09.2019 से 11.09.2019 के मध्य अवैद्य रुप से संचालित वायु प्रदूषणकारी कुल 42 उद्योगो के विरुद्ध बन्दी/ डेमोलिशन की कार्यवाही संयुक्त रुप से तहसील प्रशासन लोनी एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा सर्वेक्षण किया गया. सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि पूर्व में अवैद्य रुप से संचालित उद्योगों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के दौरान बन्द कराये गये उद्योग यथावत बन्द पाये गये।

सेवाधाम, कृष्णा विहार लोनी के आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित प्रदूषणकारी इकाईयां (पी0सी0बी0(प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड)/तार जलाने/गलाने) के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 29.10.2019 से दिनांक 02.11.2019 के मध्य बन्दी/ डेमोलिशन की कार्यवाही संयुक्त रुप से की गई थी जो वर्तमान सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि पूर्व में अवैद्य रुप से संचालित उद्योगो के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के दौरान बन्द कराये गये उद्योग यथावत बन्द पाये गये। सर्वेक्षण के दौरान लिये फोटोग्राफ निम्नवत है–

इस सम्बन्ध मे सम्बन्धित क्षेत्र के थाना प्रभारी को इस आशय का निर्देश दिया गया कि क्षेत्र मे सघन निगरानी बनाये रखे, जिससे की पूर्व में बन्द कराये गये उद्योग किसी भी दशा में स्थापित/संचालित न हो सके।

क्षेत्रीय लेखपाल	राजस्व निरीक्षक बेहटा हाजीपुर।	अवर अभियन्ता उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद।	सहा0पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद।	तहसीलदार लोनी।

ANNEXURE-2

कार्यालय उपजिलाधिकारी लोनी

पत्रांक /एस0टी0–एस0डी0एम0–लोनी/2020 दिनांक 20-07, 2020

प्रभार अधिकारी जोन–8,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
जनपद गाजियाबाद।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 635/2019 दिनांक 21.11.2019 में पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 635/2019 दिनांक 21.11.2019 में पारित आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसकी छायाप्रति संलग्न है, के कम में निर्देशित किया जाता है कि अमित विहार/सेवाधाम क्षेत्र में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि भू–उपयोग के विरूद्ध कोई भी अवैध प्रदूषणकारी इकाई आवासीय क्षेत्र में संचालित न की जाये। यदि इस प्रकार की कोई इकाई संचालित होती हुई पायी जाती है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

(संलग्नक उपरोक्तानुसार)

उपजिलाधिकारी,
लोनी।

प्रतिलिपिः–

01– सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण महोदय गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

02– प्रभारी निरीक्षक थाना लोनी बार्डर को इस निर्देश के साथ उक्त क्षेत्र में सतर्क दृष्टि बनाये रखें तथा किसी भी दशा में पूर्व में बन्द उद्योग पुनः स्थापित/संचालित न होने पाये।

उपजिलाधिकारी,
लोनी।